भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2465
जिसका उत्तर दिनांक- 10/08/2021 को दिया जाना है

राज्यों की माल और सेवा कर (जीएसटी) की बकाया राशि

2465 श्री नीरज डांगीः
क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों से राज्यों को माल और सेवा कर (जीएसटी) की देय बकाया राशि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को वास्तव में भुगतान की गई माल और सेवा कर (जीएसटी) की देय राशि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या राज्यों को माल और सेवा कर की देय बकाया राशि और भुगतान की गई बकाया राशि में कोई विसंगति है; और
(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ)- जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति राज्यों को पहले ही जारी की जा चुकी है। अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 की अवधि के लिए देय क्षतिपूर्ति को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 91,000 करोड़ रुपये की जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी कर दी गई क्योंकि संपूर्ण क्षतिपूर्ति आवश्यकता को पूरा करने के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में राशि पर्याप्त नहीं थी। महामारी के आर्थिक प्रभाव के कारण निम्नतर जीएसटी संग्रह की वजह से उच्चतर क्षतिपूर्ति की आवश्यकता की स्थिति बनी और कमतर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर संग्रहित हुआ। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अभी जारी की जाने वाली अनंतिम जीएसटी क्षतिपूर्ति का विवरण **अनुबंध-I** तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष-वार जारी जीएसटी क्षतिपूर्ति का विवरण **अनुबंध-II** के अनुसार है।
राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति मामले में जीएसटी परिषद की 41वीं और 42वीं बैठक में विचार-विमर्श किया गया है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 में, केन्द्र ने विशेष विंडो के तहत 1.1 लाख करोड़ रु. उधार लिया था और राज्यों को एक के बाद एक ऋण के रूप में पारित किया गया था ताकि क्षतिपूर्ति निधि में अपर्याप्त शेष राशि के कारण कम क्षतिपूर्ति जारी किए जाने के कारण उत्पन्न संसाधन कमी को पूरा किया जा सके। राज्यों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करने के बाद इस व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया है तथा सभी राज्यों ने इस व्यवस्था को चुना है। 43वीं जीएसटी परिषद बैठक में विचार विमर्श के परिणामस्वरूप यह निर्णय लिया गया कि केंद्र चालू वित्त वर्ष में विशेष विंडो के जरिए मार्केट से 1.59 लाख करोड़ रु. उधार लेगा और उसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक के पीछे एक सहायता के रूप में समुचित अंशों में पारित करेगा जैसा पिछले वर्ष किया गया था। इस निर्णय के अनुसार 15.07.2021 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 75,000 करोड़ रु. की राशि जारी कर दी गई है। इसके साथ, क्षतिपूर्ति निधि में उपलब्ध निधि के आधार पर केंद्र भी राज्यों की जीएसटी राजस्व कमी को पूरा करने के लिए नियमित जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी करता रहा है। जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अनुसार, संक्रमण काल के लिए क्षतिपूर्ति उपकर की उगाही को 5 साल की अवधि से आगे बढ़ाते हुए राज्यों को पूर्ण जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा ताकि जीएसटी राजस्व की कमी की भरपाई के साथ-साथ विशेष विंडो योजना के माध्यम से उधार लिए गए ऋण की भरपाई की जा सके।

*****

अनुबंध-I

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनंतिम जीएसटी क्षतिपूर्ति जो अभी जारी की जानी है का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 की अवधि के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति जो अभी जारी की जानी है	अप्रैल-मई, 2021 की अवधि के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति जो अभी जारी की जानी है
(1)	(2)	(3)	(4)
1	आंध्र प्रदेश	2493	1559
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0
3	असम	1017	606
4	बिहार	1538	1801
5	छत्तीसगढ़	1231	1547
6	दिल्ली	5190	2823
7	गोवा	734	411
8	गुजरात	6583	3603
9	हरियाणा	2328	2130
10	हिमाचल प्रदेश	680	714
11	जम्मू और कश्मीर	757	829
12	झारखण्ड	1241	969
13	कर्नाटक	7202	5500
14	केरल	3046	2812
15	मध्य प्रदेश	2437	2468
16	महाराष्ट्र	15138	7995
17	मणिपुर	0	0
18	मेघालय	140	79
19	मिज़ोरम	0	0
20	नागालैंड	0	0
21	ओडिशा	1389	1349
22	पुडुचेरी	274	288
23	पंजाब	3752	3124
24	राजस्थान	2981	2361
25	सिक्किम	30	0
26	तमिलनाडु	6155	3574
27	तेलंगाना	2515	1558
28	त्रिपुरा	93	88
29	उत्तर प्रदेश	7109	4048
30	उत्तराखण्ड	1215	951
31	पश्चिम बंगाल	3911	2157
	कुल	**81179**	**55345**

* मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान केंद्र ने दिनांक 15.07.2021 को क्षतिपूर्ति कमी को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक के पीछे एक ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रु. की राशि जारी की है।

अनुबंध-II

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी जीएसटी क्षतिपूर्ति का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जारी जीएसटी क्षतिपूर्ति	वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जारी जीएसटी क्षतिपूर्ति	वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जारी जीएसटी क्षतिपूर्ति	वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आंशिक रूप से जारी जीएसटी क्षतिपूर्ति	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	आंध्र प्रदेश	619	0	3028	2780	6427
2	अरुणाचल प्रदेश	15	0	0	6	21
3	असम	980	455	1284	1158	3877
4	बिहार	3140	2798	5464	2501	13903
5	छत्तीसगढ़	1589	2592	4521	1615	10317
6	दिल्ली	326	5185	8424	4617	18552
7	गोवा	281	502	1093	661	2537
8	गुजरात	4277	7227	14801	7300	33605
9	हरियाणा	1461	3916	6617	3125	15119
10	हिमाचल प्रदेश	1059	1935	2477	858	6329
11	जम्मू और कश्मीर	1160	1667	3281	1077	7185
12	झारखण्ड	1368	1098	2219	1436	6121
13	कर्नाटक	7670	12465	18628	8298	47061
14	केरल	2102	3532	8111	4035	17780
15	मध्य प्रदेश	2668	3302	6538	3351	15859
16	महाराष्ट्र	3077	9363	19233	14699	46372
17	मणिपुर	24	0	0	22	46
18	मेघालय	140	66	157	146	509
19	मिज़ोरम	0	0	0	11	11
20	नागालैंड	0	0	0	14	14
21	ओडिशा	2348	4241	5332	2156	14077
22	पुडुचेरी	387	681	1057	312	2437
23	पंजाब	5109	8985	12187	4074	30355
24	राजस्थान	2899	2280	6710	3767	15656
25	सिक्किम	6	0	0	35	41
26	तमिलनाडु	1018	5363	12305	6833	25519
27	तेलंगाना	169	0	3054	2995	6218
28	त्रिपुरा	149	172	293	143	757
29	उत्तर प्रदेश	2432	0	9123	7312	18867
30	उत्तराखण्ड	1432	2442	3375	1305	8554
31	पश्चिम बंगाल	1608	2615	6200	4359	14782
	कुल	**49513**	**82882**	**165512**	**91000**	**388908**

#इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान केंद्र ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले में एक के बाद एक ऋण के रूप में 1.1 लाख करोड़ रु. की राशि जारी की है।